कार्यालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर सलुम्बर

प्रार्थी श्री लक्ष्मणसिंह | **विपक्षी** श्री लक्ष्मणसिंह व अन्य
कस्म मुकदमा धारा–111, 128 भू–राजस्व अधिनियम | **प्रकरण संख्या** 20/2024

	कार्यवाही विवरण	
20/08/24	–::निर्णय::– उपस्थितः श्री नारायणसिंह चूण्डावत अधिवक्ता – प्रार्थीगण श्री गेबीलाल मेहता अधिवक्ता – विपक्षीगण प्रार्थीगण के संयुक्त स्वामित्व एवं कब्जे की आराजीयात मौजा भैसो का नामला पटवार हल्का खेराड तहसील सलूम्बर में आराजी नम्बर 372 रकबा 0.0100 हैक्टेयर व आराजी नम्बर 373 रकबा 0.9700 हैक्टेयर कुल किता 2 रकबा 0.9800 कृषि भूमि स्थित है। प्रार्थीगण की उक्त भूमि के पडौस में सटमा विपक्षी सं. 1 से 5 तक के संयुक्त खातेदारी भूमि आराजी नम्बर 312, 313, 314 कुल किता 3 रकबा 0.3000 हैक्टेयर स्थित है। प्रार्थीगण द्वारा अपने आराजीयात की भूमि की सीमांकन को लेकर विपक्षीगण को कई बार गांव के मौतबीर पंचो द्वारा समझाईश का प्रयास किया व आपसी तौर पर सीमाकंन कराई उसके बावजूद भी विपक्षीगण उक्त सीमा जानकारी स्वीकार करने को तैयार नहीं है तथा सीमा को लेकर प्रार्थीगण एवं विपक्षीगण में कई बार विवाद की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। अतः श्रीमान से निवेदन है कि प्रार्थीगण की आराजीयात की भूमि की पत्थरगढी करने का आदेश प्रदान करावे। प्रार्थनापत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्षीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। विपक्षी सं. 1 लगायत 7 व 9 की ओर से अधिवक्ता श्री गेबीलाल मेहता ने वकालतनामा मय जवाब पेश कर अंकित किया कि वादग्रस्त आराजीयात की भूमि प्रार्थीगण एवं विपक्षीगण की संयुक्त खातेदारी की भूमि है इसलिये प्रार्थना पत्र खारिज फरमाया जावे। प्रार्थीगण ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 22 नियम 4 जा.दि. का पेश जिसे स्वीकार किया जाकर मृतक विपक्षी सं. 8 के स्थान पर कायम मुकाम वारिश विपक्षी सं. 1 को प्रतिस्थापित किया गया। पत्रावली मे उभयपक्ष की बहस सुनी गई। बहस मनन किया एवं पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात/रिकॉर्ड का अवलोकन किया गया। प्रार्थनापत्र मे वर्णित मौजा भैंसो का नामला पटवार हल्का खेराड तहसील सलूम्बर जमाबंदी संवत् 2075 से 2078 के आराजी नम्बर 372, 973 कुल किता 2 कुल रकबा 0.9800 हैक्टेयर भूमि मे प्रांर्थीगण संयुक्त खातेदार होकर नाम दर्ज अंकित है। प्रार्थीगण अपनी उक्त आराजीयात की पत्थरगढी करवाये जाने के अधिकारी पाये जाने से प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना न्यायालय उचित समझता है। –:आदेश:– प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर मौजा भैंसो का नामला पटवार हल्का खेराड तहसील सलूम्बर जमाबंदी संवत् 2075 से 2078 के आराजी नम्बर 372, 973 कुल किता 2 कुल रकबा 0.9800 हैक्टेयर प्रार्थीगण की आराजीयात की भूमि मे राजस्व रेकार्ड अनुसार पत्थरगढी किये जाने के आदेश दिये जाते है।	

सहायक कलक्टर सलूम्बर
जिला सलूम्बर

प्रार्थीगण को निर्देशित किया जाता है कि मौके पर पत्थरगढी किये जाने हेतु पत्थर मय मजदूर खड्डा करने एवं रोपने के लिये तहसीलदार को उपलब्ध करवाएं। साथ ही भू–अभिलेख निरीक्षक/पटवारी हल्का को पाबंद किया जाता है कि प्रार्थीगण से पत्थरगढी शुल्क तहसीलदार, भू.अ.नि. व पटवारी का एक दिन का वेतन मय वाहन खर्च राजकोष में जमा हो। पक्षकारान को जरिये नोटिस तलब किये जाकर मौके पर मौतबीरान की उपस्थिति में प्रार्थीगण की उपरोक्त आराजियात की पत्थरगढी करे। इस आशय की तहरीर तहसीलदार सलुम्बर के नाम जारी की जावें।

पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर करे।

निर्णय आज दिनांक 20/08/24 को सरे ईजलास सुनाया गया।

सहायक कलेक्टर सलूम्बर, जिला-सलूम्बर (राज.)

(पर्वत सिंह चूण्डावत RAS)
सहायक कलेक्टर सलूम्बर
उपखण्ड अधिकारी
जिला सलूम्बर
सलुम्बर